

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र / 52 / 14

दर्ज दिनांक:—15.07.14

कुवरपाल बनाम देवीसिंह
अभिभाषक दिनेश चंद शर्मा

निर्णय

दिनांक:—15.01.18

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय T.I. आदेश दिनांक 15.07.2017 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर